



ऑनलाइन एनओसी एण्ड अफिलिएशन सिस्टम ONLINE NOC & AFFILIATION SYSTEM

DEEN DAYAL UPADHYAY GORAKHPUR UNIVERSITY

GORAKHPUR- 273009

सन्दर्भ संख्या: NOCDDU/संव/ 2938/2022

दिनांक: 20/05/2022

विस्तरण सम्बद्धता-आदेश

उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2014) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) की धारा-37(2) के अन्तर्गत उच्च स्तरीय सम्बद्धता समिति की अनुशंसा एवं कार्यपरिषद की अनुमति (दिनांक: 20/05/2022) से MAHARANA PRATAP MAHAVIDYALAYA, JUNGLE DHUSHAN, GORAKHPUR को UG स्तर पर

Course Name	Subject Name
1 BACHELOR OF ARTS (2022-2023)	COMPUTER APPLICATION
2 BACHELOR OF ARTS (2022-2023)	PHYSICAL EDUCATION
3 BACHELOR OF SCIENCE (2022-2023)	COMPUTER APPLICATION

पाठ्यक्रमों में स्वचित्तपोषित योजनान्तर्गत सत्र 2022-2023 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन सम्बद्धता प्रदान की जाती है:-

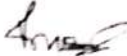
- 1- संस्था/महाविद्यालय निरीक्षण आख्या एवं प्रपत्र-बी में इंगित समस्त कमियों को एक माह में पूर्ण कर लेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्षों में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
- 2- संस्था/महाविद्यालय शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
- 3- सूची में जिन संस्थानों/महाविद्यालयों के सशर्त सम्बद्धता/सम्बद्धता की संस्तुति की गयी है, उनके सम्बन्ध में महाविद्यालय द्वारा कक्षा प्रारम्भ करने से पूर्व इंगित सभी कमियों एवं शर्तों का निराकरण करा लिया जायेगा। कमियों की पूर्ति सुनिश्चित कर लेने की स्थिति से अवगत कराते हुए अनिवार्य रूप से माननीय कुलपति जी से कक्षा संचालन की स्वीकृति प्राप्त कर ली जाएगी। संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाणपत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
- 4- यदि संस्था/महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
- 5- संस्था द्वारा प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिनियमावली/अध्यादेश एवं सुसंगत शासनादेशों का पालन सुनिश्चित करेगी।

6- महाविद्यालय समय-समय पर प्रवेश तथा पाठ्यक्रम संचालन एवं परीक्षा के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत आदेशों का सम्यक अनुपालन समग्रता में सुनिश्चित करेगा अन्यथा सम्बद्धता वापसी की कार्यवाही विचारणीय होगी।

7- संस्था द्वारा शासनादेश संख्या-421/सत्तर-1-2015-16(20)/2011 दिनांक 22 मई, 2015 के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी।

8- मानकानुसार शिक्षकों की निरन्तरता एवं बैंक के माध्यम से उनके वेतन भुगतान महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

9- रिट याचिका संख्या-61859/2012 में मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक: 20.12.2012 के अनुपालन में मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-522/सत्तर-2-2013-2(650)/2012, दिनांक: 30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। कक्षा संचालन पूर्व संस्था/महाविद्यालय द्वारा मानकानुसार शिक्षक अनुमोदित कराते हुए नियुक्ति, अनुबन्ध आदि प्रपत्र विश्वविद्यालय को अनिवार्य रूप से एक माह में उपलब्ध कराया जायेगा।


कुल सचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव कुलपति, माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
2. विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-....., उ०प्र० शासन, लखनऊ।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, Gorakhpur मण्डल,
4. प्रबन्धक, MAHARANA PRATAP MAHAVIDYALAYA, JUNGLE DHUSHAN, GORAKHPUR को इस आशय से प्रेषित है कि सम्बद्धता आदेश में वर्णित शर्तों का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
5. परीक्षा नियंत्रक, MAHARANA PRATAP MAHAVIDYALAYA, JUNGLE DHUSHAN, GORAKHPUR, Gorakhpur
6. कुलसचिव कार्यालय।
7. सम्बन्धित पत्रावली।


कुल सचिव



दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर - 273009

पत्रांक : सम्बद्धता / 2022 / 02- 2433

दिनांक 02/02/2022

सेवा में,

प्रबन्धक/प्राचार्य

महाराणा प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगल धूपन, गोरखपुर।

विषय : स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत हिन्दी, इतिहास एवं गृहविज्ञान विषयों में स्थाई सम्बद्धता के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक विश्वविद्यालय के पत्र संख्या एनओसीडीसीयू/सम्ब/2840/2021 दिनांक 20.09.2021 द्वारा स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत हिन्दी, इतिहास एवं गृहविज्ञान विषयों में कतिपय शर्तों के अधीन स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत शैक्षिक सत्र 2021-22 से निरीक्षण मण्डल द्वारा स्थाई सम्बद्धता की संस्तुति की गयी थी, जिसके क्रम में विश्वविद्यालय द्वारा शर्तों के अधीन महाविद्यालय को दिनांक 01.07.2021 से आगामी एक वर्ष हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

महाविद्यालय ने परीक्षा नियंत्रक द्वारा प्रमाणित प्रमाणपत्र के अनुसार संदर्भित पाठ्यक्रम का शैक्षिक सत्र 2019-20 एवं 2020-21 का परीक्षाफल 60 प्रतिशत से अधिक है तथा महाविद्यालय नकल में आरोपित नहीं है।

स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत हिन्दी, इतिहास एवं गृहविज्ञान विषयों में सम्बद्धता हेतु तथा उपरोक्त/अन्य कर्मियों को पूर्ण करने के शर्तों के अधीन शैक्षिक सत्र 2021-22 से स्थाई सम्बद्धता प्रदान किये जाने की संस्तुति की जाती है। निरीक्षण मण्डल की आस्था के साथ महाविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये पत्रजातो में यदि किसी प्रकार की भिन्नता/त्रुटि पाई जाती है, तो जारी की गयी सम्बद्धता स्वतः निरस्त मानी जायेगी।

स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत हिन्दी, इतिहास एवं गृहविज्ञान विषयों में माननीय कार्यपरिषद् की स्वीकृति की प्रत्याशा में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथा संशोधित 300 प्रो राज्य विश्वविद्यालय एवं संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के अधीन परीक्षा नियंत्रक द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के अनुसार विगत दो वर्षों का परीक्षाफल 60 प्रतिशत से अधिक होने एवं नकलविहीन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के दृष्टिगत दिनांक 01.07.2022 से स्थाई सम्बद्धता निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत प्रदान की जाती है:-

1. महाविद्यालय द्वारा प्राचार्य/प्रवक्ताओं को कार्यभार ग्रहण करा कर नियुक्ति पत्र, कार्यभार ग्रहण प्रमाण पत्र एवं संविदा पत्र विश्वविद्यालय में उपलब्ध कराया जायेगा तथा इनका बैंक के माध्यम से वेतन भुगतान कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
2. संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002 दिनांक 02 जुलाई, 2003 एवं शासनादेश संख्या 4108/सत्तर-2-2007-2(494)/2007 दिनांक 17.10.2007 तथा शासनादेश संख्या 2112/सत्तर-2-2008-2(494)/2007 दिनांक 09 मई, 2008 में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
3. रीट याचिका संख्या 61859/2012 में पारित आदेश दिनांक 20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों का अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या 522/सत्तर-2-2013-2(650)/2012 दिनांक 30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
4. कतिपय संस्थानों/महाविद्यालय को संशर्त सम्बद्धता आदेशों में इंगित कर्मियों की पूर्ति से सम्बन्धित अभिलेख महाविद्यालय एक माह में पूर्ण करने की सूचना विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा। संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाणपत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तों को निरन्तर पूरी कर रहा है।
5. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्रावधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी।
6. संस्था द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम (संशोधन) अध्यादेश 2003 द्वारा मूल अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा, अन्यथा अगले सत्र से छात्रों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
7. संस्था का संचालन व्यावसायिक आधार पर नहीं किया जायेगा।
8. संस्था शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्गत किये जाने वाले समस्त आदेशों का सम्यक् अनुपालन सुनिश्चित करेगी।
9. संस्था विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश क्षमता से अधिक प्रवेश कदापि नहीं करेगी तथा विद्यार्थियों से शासन/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शिक्षण व अन्य शुल्क ही प्राप्त करेगी।
10. संस्था परिसर को रैगिंग मुक्त रखेगी।
11. संस्था स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के संचालन के सम्बन्ध में अधिनियम/परिनियम/अध्यादेश/शासनादेशों में दी गई व्यवस्था/निर्देशों का सम्यक् अनुपालन सुनिश्चित करेगी।
12. महाविद्यालय की स्थाई सम्बद्धता की संस्तुति इस शर्त के साथ की जाती है कि महाविद्यालय को दी जाने वाली सम्बद्धता में यदि कोई वैधानिक प्रक्रिया अथवा नियमों का उल्लंघन भविष्य में पायी जाती है तो सम्बद्धता स्वतः समाप्त हो जायेगी और उपरोक्त के सम्बन्ध में महाविद्यालय के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
13. महाविद्यालय द्वारा ए.आई.एस.एच.ई. 2019-20 एवं 2020-21 का फॉर्म पूरित कर दिया जायेगा अन्यथा की स्थिति में सम्बद्धता वापस लेने की नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय,

कुलसचिव 03.02.22

पृष्ठांक संख्या: सम्बद्धता/2021/.....तददिनांक।

प्रतिनिधि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-6, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा 300 प्रो, इलाहाबाद/क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर।
3. अधिष्ठाता, कला संकाय/परीक्षा नियंत्रक/उप कुलसचिव, परीक्षा सामान्य, दी0द0उ0 गो0वि0वि0, गोरखपुर।
4. प्रभारी, कमेटी को इस आशय से प्रेषित कि माननीय कार्यपरिषद् के अनुमोदन हेतु इसे आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का कष्ट करें/कुलसचिव कार्यालय।
5. प्रशासनिक अधिकारी कुलपति कार्यालय, कुलपति जी के सूचनाार्थ।
6. गार्ड फाईल (सम्बद्धता)।

कुलसचिव